

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक प. 2(15)आयु. / 2005

जयपुर, दिनांक २२-५-०९

- आदेश -

“इलैक्ट्रोपैथी” पद्धति को मान्यता प्रदान करने हेतु विस्तृत अध्ययन कर गुण दोष के आधार पर औचित्य पूर्ण सिफारिश हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.06.2007 द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, के क्रम में निम्नानुसार संशोधित कमेटी का गठन किया जाता है :-

1.	कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ० गिरेन्द्रपाल संरक्षक एमपी खूंटेटा होम्योपैथिक कॉलेज, जयपुर	सदस्य,
3.	डॉ० दिनेश नागर उप निदेशक (होम्योपैथिक) अजमेर।	सदस्य,
4.	सलाहकार/सहायक सलाहकार होम्योपैथिक आयुष विभाग, भारत सरकार रेडक्रास भवन, नई दिल्ली।	सदस्य,
5.	निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।	सदस्य,
6.	प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	सदस्य,

नोट :- समिति के अध्यक्ष “इलैक्ट्रोपैथिक” विशेषज्ञ को अपने स्तर से आमंत्रित कर सकेंगे।

समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
2. कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. संबंधित सदस्य।
4. रक्षित पत्रावली।

आयुर्वेद विभाग

जयपुर

22/5/09

2

शासन उप सचिव